क्रम-संख्या–214

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, मंगलवार, 17 अक्टूबर, 2017

आश्विन 25, 1939 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग–9

संख्या 1783/एक–9–2017–3(एस)–2017

लखनऊ, 17 अक्टूबर, 2017

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0प0नि0–41

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (राजस्व निरीक्षक) सेवा नियमावली, 2014 और इस विषय पर किसी अन्य नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (राजस्व निरीक्षक) सेवा में भर्ती और इसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (राजस्व निरीक्षक) सेवा नियमावली, 2017

भाग–एक

सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली "उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (राजस्व निरीक्षक) सेवा नियमावली, 2017" कही जाएगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2–उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (राजस्व निरीक्षक) सेवा एक अधीनस्थ सेवा है जिसमें समूह "ग" के पद समाविष्ट हैं।

परिभाषाएं

3–जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में–

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य किसी जिले के कलक्टर से है;

(ख) "परिषद" का तात्पर्य राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश से है;

Scanned by CamScanner

(ग) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग–दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय;

(घ) "आयुक्त एवं सचिव" का तात्पर्य आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश से है;

(ङ) "संविधान" का तात्पर्य भारत के संविधान से है;

(च) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है;

(छ) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(ज) "संस्थान" का तात्पर्य राजा टोडरमल सर्वेक्षण एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान, हरदोई, उत्तर प्रदेश से है;

(झ) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन सेवा के संवर्ग में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति से है;

(ञ) "नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों का तात्पर्य समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है;

(ट) "सेवा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (राजस्व निरीक्षक) सेवा से है;

(ठ) "उप जिलाधिकारी" का तात्पर्य सब डिवीजन (परगना) के प्रभारी सहायक कलक्टर से है;

(ड) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो, और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो, तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो;

(ढ़) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग–दो

संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4–(1) सेवा का संवर्ग राज्य स्तरीय होगा।

(2) सेवा की सदस्य संख्या उतनी होगी, जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।

(3) जब तक कि उपनियम (2) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, सेवा की सदस्य संख्या निम्नवत् होगी:

पद का नाम		पदों की संख्या		
		स्थायी	अस्थायी	योग
राजस्व निरीक्षक	क्षेत्र कार्य/लेखपालों पर नियंत्रण हेतु	1326	1808	3134
	कार्यालय कार्य हेतु	1082	–	1082
	जनपद स्तरीय भूलेख कार्यालय हेतु	65	–	65
कुल योग		2473	1808	4281

परन्तु यह कि :–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुये छोड सकता है या राज्यपाल उसे आरथगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।

Scanned by CamScanner

(4) राजस्व निरीक्षक के कार्य और कर्तव्य ऐसे होंगे जैसे कि उत्तर प्रदेश भूलेख नियमावली में यथापरिभाषित या परिकल्पित हों या सरकार द्वारा समय–समय पर जारी कार्यपालक अनुदेशों द्वारा यथाउपबंधित हों।

(5) कलक्टर किसी कार्य के लिए राजस्व निरीक्षक की तैनाती कर सकता है।

(6) आयुक्त एवं सचिव, राजस्व निरीक्षक संवर्ग के विभागाध्यक्ष होंगे।

भाग–तीन

भर्ती

भर्ती का स्रोत

5–सेवा में पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी,

(क) छिहत्तर प्रतिशत, मौलिक रूप से नियुक्त लेखपालों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

(ख) बाईस प्रतिशत, मौलिक रूप से नियुक्त संग्रह अमीनों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

(ग) दो प्रतिशत, मौलिक रूप से नियुक्त भू–अर्जन अमीनों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

भाग–चार

भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों का अवधारण

6–आयुक्त एवं सचिव भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या का अवधारण करेगा।

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

7–(1) पदोन्नति द्वारा भर्ती समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड नियमावली, 1994 में दिये गये मानदण्डों के आधार पर निम्नवत् गठित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी:–

1. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद —अध्यक्ष
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद द्वारा नाम निर्दिष्ट अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त, राजस्व परिषद —सदस्य
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद द्वारा नाम निर्दिष्ट उप भूमि व्यवस्था आयुक्त, राजस्व परिषद —सदस्य

टिप्पणी–चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए नाम निर्देशन, समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 7 के अधीन किये गये आदेश के अनुसार किया जायेगा।

(2) आयुक्त एवं सचिव, समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश(लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार अभ्यर्थियों की पात्रता सूची तैयार करेगा। संबंधित अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त/उप भूमि व्यवस्था आयुक्त, राजस्व परिषद अभ्यर्थियों की इस प्रकार बनायी गयी पात्रता सूची चरित्र पंजियों और उनसे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझें जाय चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में जैसी उस संवर्ग में हो, जिससे उनकी पदोन्नति की जानी है, एक सूची तैयार करेगी। चयन समिति सूची को आयुक्त एवं सचिव को अग्रसारित करेगी जो अध्यक्ष, राजस्व परिषद के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगी। अनुमोदन के उपरान्त आयुक्त एवं सचिव अपने जनपदों में विद्यमान रिक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए सूची से नामों की अपेक्षित संख्या सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारियों को अग्रसारित करेगा।

Scanned by CamScanner

भाग–पॉच

नियुक्ति, प्रशिक्षण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

8–(1) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे नियम–7 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, नियुक्तियॉ करेगा।

(2) यदि किसी एक चयन के संबंध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जाये, तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख उसी ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा, जैसी उस संवर्ग में थी, जिससे उन्हें पदोन्नति किया गया है।

प्रशिक्षण

9–सेवा में नियुक्त कोई व्यक्ति ऐसे दिनांक को संस्थान में अपना योगदान प्रशिक्षण देगा, जैसा कि आयुक्त एवं सचिव द्वारा नियत किया जाय और तीन माह के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करेगा। उक्त प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या ऐसी होगी, जैसी परिषद द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।

अर्हकारी परीक्षा

10–(1) प्रशिक्षण के अन्त में एक अर्हकारी परीक्षा आयोजित की जाएगी जिसकी व्यवस्था परिषद द्वारा की जायेगी।

(2) संस्थान का निदेशक प्रत्येक अभ्यर्थी के कार्य और आचरण का निर्धारण उपस्थिति, मासिक परीक्षा, आचरण और अनुशासन के आधार पर करेगा जिसके लिए अर्हकारी परीक्षा हेतु नियत कुल अंकों का कुछ प्रतिशत चिन्हित किया जायेगा और इस संबंध में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंकों को अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों में जोड़ दिया जायेगा।

(3) किसी भी अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा में सम्मिलित होने की सामान्यतः अनुमति नहीं दी जायेगी, जब तक कि सत्र के दौरान संस्थान के खुले रहने पर वह कम से कम 80 प्रतिशत दिनों तक कक्षा में उपस्थित न रहा हो। तथापि आपवादिक मामलों में परिषद इस शर्त को उपयुक्त रूप से शिथिल कर सकती है।

(4) यदि कोई व्यक्ति अर्हकारी परीक्षा में असफल हो जाता है, तो उसे संस्थान में दो माह की अवधि के अग्रतर लघु प्रशिक्षण की अनुमति दी जा सकती है।

(5) समस्त सफल अभ्यर्थियों को संस्थान का एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

(6) प्रत्येक सत्र में परिषद एक अधिकारी को अर्हकारी परीक्षा के अधीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए नाम निर्दिष्ट करेगी। अधीक्षक अपनी ओर से निरीक्षक की नियुक्ति करेगा जो परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग या प्रयास, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए कदाचार के मामलों को उसे सूचित करेगा। अधीक्षक अपने विवेक पर या तो परीक्षार्थी को अग्रतर परीक्षा से प्रतिवारित कर सकता है या प्रश्नपत्र विशेष में उसके द्वारा प्राप्त अंकों में कटौती करने का आदेश दे सकता है। अनुसूचित साधनों को सम्मिलित करते हुए कदाचार के आधार पर ऐसा करने के पूर्व अधीक्षक की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही के प्रति कारण बताने का पूर्ण अवसर प्रदान करेगा। परीक्षार्थी अधीक्षक द्वारा कृत कार्यवाही के विरूद्ध परिषद के समक्ष एक अपील दायर कर सकता है। परिषद का विनिश्चय इस संबंध में अन्तिम और बाध्यकारी होगा।

(7) यदि कोई व्यक्ति अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहता है, तो उसे वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं दी जायेगी।

ज्येष्ठता

11–(1) सेवा में पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

(2) आयुक्त एवं सचिव सेवा के सदस्यों की राज्य स्तरीय ज्येष्ठता अवधारित करने हेतु सक्षम प्राधिकारी होंगे।

भाग–छह

वेतन इत्यादि

वेतनमान

12–(1) सेवा में किसी पद पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

Scanned by CamScanner

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान निम्नवत् दिए गए हैं–

पदनाम	वेतनमान
राजस्व निरीक्षक	लेवल–5 रू0 29200–92300

भाग–सात

अन्य उपबन्ध

स्थानान्तरण

13–(1) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों को पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

(2) किसी सब-डिवीजन के भीतर राजस्व निरीक्षक का स्थानान्तरण सब डिवीजनल अधिकारी द्वारा किया जायेगा। जिले के भीतर एक सब–डिवीजन से दूसरे सब–डिवीजन में स्थानान्तरण उस जिले के कलेक्टर द्वारा किया जायेगा। किसी डिवीजन के भीतर एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरण उस डिवीजन के आयुक्त द्वारा ऐसी रीति से किया जायेगा, जिससे कि किसी जिले में सरकार द्वारा स्वीकृत पदों की संख्या परिवर्तित न हो। राज्य के भीतर राजस्व निरीक्षकों के स्थानान्तरण की शक्ति परिषद के पास होगी।

निवास की बाध्यता

14–राजस्व निरीक्षक अपने हल्के के भीतर ही निवास करेगा जब तक कि उसने सब डिवीजनल अधिकारी या कलक्टर से उसके बाहर रहने की अनुमति प्राप्त न कर ली हो।

पक्ष समर्थन

15–किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। सेवा के किसी सदस्य की ओर से पदोन्नति द्वारा अपनी नियुक्ति के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन

16–ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यता लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगे।

सेवा की शर्तों में शिथिलता

17–जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामलें में असम्यक् कठिनाई होती है, वहाँ वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

व्यावृत्ति

18–इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस संबंध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,
डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव।

Scanned by CamScanner

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no-1783/ 1-9-2017-3(S)-2017, Dated October 17, 2017.

No.-1783/1-9-2017-3(S)/2017

Dated Lucknow, October 17 2017.

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the Uttar Pradesh Subordinate Revenue Excutive (Rajasva Nirikshak) Service Rules, 2014 and any other rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment and the conditions of service of persons appointed to the Uttar Pradesh Subordinate Revenue Executive (Rajasva Nirikshak) Service:

THE UTTAR PRADESH SUBORDINATE REVENUE EXECUTIVE (RAJASVA NIRIKSHAK) SERVICE RULES, 2017

PART-I

GENERAL

Short title and Commencement

1.(1) These rules may be called The Uttar Pradesh Subordinate revenue executive (Rajasva Nirikshak) Service Rules, 2017.

(2) They shall come into force at once.

Status of the Service

2. Uttar Pradesh Subordinate revenue executive (Rajasva Nirikshak) Service is a subordinate service comprising Group 'C' posts.

Difinitions

3. In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context:

(a) 'Appointing authority' means the Collector of a District;

(b) 'Board' means the Board of Revenue, Uttar pradesh;

(c) 'Citizen of India' means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part II of the Constitution;

(d) 'Commissioner and Secretary' means the Commissioner and Secretary, Board of Revenue, Uttar Pradesh;

(e) 'Constitution' means the Constitution of India;

(f) 'Government' means the State Government of Uttar Pradesh;

(g) 'Governor' means the Governor of Uttar Pradesh;

(h) 'Institute' means the Raja Todarmal Survey and Land Records Training Institute, Hardoi, Uttar Pradesh;

(i) 'Member of the service' means a person substantively appointed under these rules or the rules or orders inforce prior to the commencement of these rules to a post in the cadre of the service;

(j) 'Other backward classes of citizens' means the backward classes of citizens specified in Schedule 1 of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994, as amended from time to time ;

(k) 'Service' means the Uttar Pradesh Subordinate Revenue Executive (Rajasva Nirikshak) Service;

(l) 'Sub-Divisional Officer' means the Assistant Collector incharge of a Sub-Division;

(m) 'Substantive appointment' means an appointment, not being an adhoc appointment, on a post in the cadre of the service, made after selection in accordance with the rules and, if there were no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government;

(n) 'year of recruitment' means a period of twelve months commencing on the first day of July of a calender year.

Scanned by CamScanner

PART -II

CADRE

Cadre of service

4. (1) The cadre of the service shall be of State level.

(2) The strength of the service shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(3) The strength of the service shall, until orders varying the same are passed under sub-rule (2), be as given below:

Name of post		Number of posts		
		Parmanent	Temporary	**Total**
Rajasva Nirikshak	For Field work /Control on Lekhpals	1326	1808	**3134**
	For office work	1082	---	**1082**
	For District level land records office	65	---	**65**
Grand Total		**2473**	**1808**	**4281**

Provided that:-

(i) the appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without therby entitling any person to compensation; or

(ii) the Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.

(4) The Work and duties of Rajasva Nirikshak shall be such as defined or envisaged in the Uttar Pradesh Land Records Rules or as provided by executive instructions issued by the Government from time to time.

(5) The Collector may post Rajasva Nirikshak for any work.

(6) The Commissioner and Secretary shall be the Head of Department for the cadre of Rajasva Nirikshak.

PART-III

RECRUITMENT

Source of recruitment

5. Recruitment to the posts in the service shall be made from the following sources:

(1) Seventy six percent by promotion from amongst substantively appointed Lekhpals who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment.

(2) Twenty two percent by promotion from amongst substantively appointed Collection Amins who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment.

(3) Two percent by promotion from amongst substantively appointed Land Acquisition Amins who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment.

PART-IV

PROCEDURE FOR RECRUITMENT

Determination of vacancies

6. The Commissioner and Secretary shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year of recruitment.

Procedure for recruitment by promotion

7. (1) Recruitment by promotion shall be made on the basis of the criterion laid down in the Utter Pradesh Government Servants Criterion for Recruitment by

Scanned by CamScanner

Promotion Rules, 1994, as amended from time to time, through the Selection Committee constituted as under:

1-	Commissioner and Secretary, Board of Revenue.	Chairman
2-	Additional Land Reforms Commissioner, Board of Revenue, to be nominated by the Commissioner and Secretary, Board of Revenue.	Member
3-	Deputy Land Reforms Commissioner, Board of Revenue to be nominated by the Commissioner and Secretary, Board of Revenue.	Member

NOTE- Nomination of Officers for giving representation to the Scheduled Castes/ Scheduled Tribes and Other Backward Classes of Citizens in the Selection Committee shall be made in accordance with the order made under section 7 of the Uttar Pradesh Public Service (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994, as amended from time to time.

(2) The Commissioner and Secretary shall prepare eligibility list of the candidates in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection (on posts outside the purview of the Public Service Commission) Eligibility List Rules, 1986, as amended from time to time. Concern Additional Land Reforms Commissioner/Deputy land reforms Commissioner, Board of Revenue shall place the eligibility List of the candidates so prepared before the Selection Committee alongwith their character rolls and such other records, pertaining to them, as may be considered proper.

(3) The Selection committee shall consider the cases of candidates on the basis of records referred to in sub-rule (2), and, if it considers necessary, it may interview the candidate also.

(4) The Selection committee shall prepare a list of selected candidates in order of seniority as it stood in the cadre from which they are to be promoted. The Selection Committee shall forward the list to the Commissioner and Secretary, who shall place it before the Chairman, Board of Revenue for approval. After the approval, the Commissioner and Secretary shall forward the requisite number of names from the list to the concerned appointing authorities keeping in view the number of vacancies existing in their districts.

PART-V

APPOINTMENT, TRAINING AND SENIORITY

Appointment

8. (1) The appointing authority shall make appointment by taking the names of candidates in the order in which they stand in the list prepared under rule 7.

(2) If more than one order of appointment are issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons in order of seniority as it stood in the cadre from which they are promoted.

Training

9. A person appointed to the service shall join the Institute on such date as may be fixed by the Commissioner and Secretary and shall undergo a training for three months. The syllabus and curriculum of the said training shall be such as determined by the Board from time to time.

Qualifying Examination

10. (1) At the end of the training, a qualifying examination shall be held, arrangement for which shall be made by the Board.

(2) The Director of the Institute shall assess the work and conduct of each candidate on the basis of the attendance, monthly test, conduct and discipline for which some percentage of the total marks fixed for qualifying examination shall be earmarked and the marks obtained by the candidate in this regard will be added to the marks obtained in the qualifying examination.

Scanned by CamScanner

(3) No candidate shall ordinarily be allowed to appear at the qualifying examination unless he has attended the class for at least eighty percent of the days on which the Institute was open during the session. The Board may, however, suitably relax this condition in exceptional cases.

(4) If a candidate fails at the qualifying examination, he may be allowed a further short training of two months duration at the Institute.

(5) All the successful candidates shall be given a certificate of the Institute.

(6) At each session the Board shall nominate an officer to work as Superintendent of the qualifying examination. The Superintendent in his turn shall appoint invigilators who shall report to him the cases of misconduct including use of unfair means or attempts, if any, on the part of examinees during the examination. The Superintendent may in his discretion either debar the examinee from further examination or order for deduction of marks obtained by him in the particular paper. Before doing so on the ground of misconduct including unfair means, the Superintendent shall afford full opportunity of showing cause against the action proposed to be taken. The examinee may file an appeal before the Board against the action taken by the Superintendent. The decision of the Board shall be final and binding in this regard.

(7) A person who fails to pass the qualifying examination shall not be allowed the annual increment.

Seniority

11. (1) The seniority of persons substantively appointed to the posts in the service shall be determined in accordance with The Uttar Pradesh Government Servants Seniority Rules, 1991 as amended from time to time.

(2) The Commissioner and Secretary shall be the competent authority for determination of State level seniority of the members of the service.

PART-VI

PAY ETC

Scale of pay

12. (1) The scale of pay admissible to persons appointed to a post in the service shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The scale of pay at the time of the commencement of these rules is as follows:

Name of post	Scale of pay
Rajasva Nirikshak	Level-5 Rs. 29200-92300

PART-VII

OTHER PROVISIONS

Transfer

13. (1) The persons appointed to the service shall be liable to be transferred throughout the State of Uttar Pradesh.

(2) Transfer of Rajasva Nirikshak within a Sub-Division will be made by the Sub-Divisional Officer. Transfer from one Sub-Division to another Sub-Division within the District will be made by the Collector of that district. Transfer from one district to another district within a division will be made by the Commissioner of that division in such a manner as not to alter the number of posts sanctioned by the Government in any district. The Board shall have the power of transfer of Rajasva Nirikshak within the State.

Obligation of residence

14. The Rajasva Nirikshak shall reside within his halqa unless he has obtained permission of the Sub-Divisional Officer or Collector to reside outside it.

Canvassing

15. No recommendations, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post or service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a member of the service to enlist support directly or indirectly for his appointment by promotion shall disqualify him.

Scanned by CamScanner

Regulation of other matters

16. Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the service causes undue hardship in any particular case, it may, not with standing anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

Relaxation from the conditions of service

17. In regards to the matters not specifically covered by these rules or special orders, persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

Savings

18. Nothing in these rules shall affect other concessions required to be provided for candidates belonging to the scheduled castes, scheduled tribes and other special categories of persons in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

By order,
DR. RAJNEESH DUBE,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 523 राजपत्र–(हिन्दी)–2017–(1262)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी / आफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 2 सा0 राजस्व–2017च–(1263)–500 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी / आफसेट)।

\\Data-4\e\Rajaswa\523_RPH_2017_Rajaswa.docx

Scanned by CamScanner